

अमाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1531] No. 1531] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 20, 2018/चैत्र 30, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 20, 2018/CHAITRA 30, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2018

का.आ. 1685(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 52 के उप-पैरा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 23 अप्रैल, 2015 में प्रकाशित अधिसूचना का.आ. संख्यांक 1071 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 का निम्नलिखित और संशोधन करने का निदेश देती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, आरंभिक पैरा के पश्चात्, सारणी में, निवेश पद्धित 'ऋण लिखत तथा संबंधित निवेश' से संबंधित श्रेणी (ii) के सामने, 'निवेश की जाने वाली प्रतिशत राशि' से संबंधित स्तंभ 3 में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी जो 19 फरवरी, 2018 से प्रभावी होगी, अर्थात् :-

"न्यूनतम 20 प्रतिशत तथा 45 प्रतिशत तक"

[फा. सं. जी-20031/1/2012-एसएस- II (पीटी)]

आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

िटप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. संख्यांक 1071(अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन का.आ. संख्यांक 3034 (अ) तारीख 22 सितंबर, 2016 द्वारा किया गया था।

2304GI/2018 (1)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2018

S.O. 1685(E).—In exercise of the powers conferred by sub-paragraph (1) of paragraph 52 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, the Central Government hereby directs to make the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1071(E), dated the 23rd April, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), dated the 23rd April, 2015, namely:—

In the said notification, after the opening paragraph, in the Table, against Category (ii) relating to the investment pattern "Debt Instruments and Related Investments", for the entries in the third column relating to "Percentage amount to be invested", the following entries shall be substituted with effect from the 19th day of February, 2018, namely:—

"Minimum 20 per cent. and up to 45 per cent.".

[F. No. G-20031/1/2012-SS-II(Pt.)] R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 1071(E) dated the 23rd April, 2015 and was amended *vide* number S.O. 3034(E) dated the 22nd September, 2016.